

11.4.22

वकील कमीनाट उपा। कमीनाट
अधिक द्वारा अवगत कराया कि
उक्त न ले लेखित अधिक न्यायालय
में विचाराधीन हल दावे का निस्तारण
हो चुका है अतः पत्र उभावहीन में
खातीप भी पावे। अंकि मूल दावे
का निस्तारण हो जाने के कारण
उक्त अपील का कोई अंशिक नहीं
रह पाता है अतः पत्र उभावहीन
में खातीप भी जारी है।

पत्राली केवल शुभार, होकर, नरकर से
कम भी जाकर, बस जाकर, दाखिल
कर है।

12

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राज्य अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर